तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30/6/25 को पेश हो। तब तक T.I. अवधि बढ़ाई जाती है।	
30/6/25	पत्रावली पेश। वकील प्राथी ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमियॉ हमारी सहखातेदारी की है। उक्त भूमियों का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होता है। इसी अनुरूप में प्रार्थी काबिज काश्त है। विधिवत बंटवारा नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि पर काश्त करने में परेशानियों का सामना करता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के अविवाहित होने व कोई संतान नहीं होने का अनुचित फायदा उठाकर प्रार्थी पर दबाव बनाकर भूमि अपने नाम करवाना चाहता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने भूमियों का मौके पर हिस्से कर काश्त की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर दखलंदाजी की जा रही है। प्रार्थी को उक्त भूमियों में निहित हिस्सों पर से बेदखल करने में अप्रार्थी संख्या 1 आमादा है व कब्जे काश्त में बाधा डालते रहता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को वाद के निर्णय तक उक्त कृत्य नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने व न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है। बाद मनन बहस विवादित भूमियों में प्रार्थी सहखातेदार होने से व विवादित भूमियों में निहित प्रार्थी के 1/7 हिस्से की भूमियों को संरक्षित करना उचित समझता है ताकि अनावश्यक वाद बाहुलता न हो। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होने से व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के हम में होने से एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक :–22.12.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध जारी की गई, अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कन्फर्म (Confirm) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	